रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122022-241277 CG-DL-E-21122022-241277

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 797] No. 797] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2022/अग्रहायण 30, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2022/AGRAHAYANA 30, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2022

सं. 5/2022-सीमा शुल्क (सीवीडी)

सा.का.िन. 893(अ).—जहाँ कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम (एतिश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "कॉपर ट्यूब्स एवं पाइप्स" (एतिश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51), (एतिश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 7411 10 00, 7411 21 00, 7411 22 00 और 7411 29 00 के अंतर्गत आती है, के आयात के मामले में अधिसूचना संख्या 04/10/2020-डीजीटीआर, दिनांक 31 जनवरी, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहाँ से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की थी।

और जहाँ, उपर्युक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपरोक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर, केन्द्र सरकार ने अधिसूचना भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2022-सीमाशुल्क (सीवीडी), जिसे सा.का.नि. संख्या 323(अ), दिनांक 28 अप्रैल, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया था, के तहत विषयगत वस्तु पर काउंटरवेलिंग शुल्क लगाया था।

8571 GI/2022 (1)

और जहाँ, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संशोधित अधिसूचना संख्या 04/10/2020-डीजीटीआर जिसे दिनांक दिनांक 18 नवंबर, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि नाम बदलने के लिए केएमसीटी (थाईलैंड), कं.लि. के द्वारा किया गया अनुरोध केवल नाम परिवर्तन की श्रेणी में आता है और इससे स्वामित्व के मामले में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है जिससे कि कारोबार की मूल प्रकृति में कोई परिवर्तन हो और उन्होंने यह सिफारिश की है कि अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना संख्या 04/10/2020-डीजीटीआर, दिनांक 31 जनवरी, 2022 में उत्पादक अर्थात् "मैसर्स कोबेल्को एंड मैटेरियल्स कॉपर ट्यूबस (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड" का नाम बदलकर "केएमसीटी (थाईलैंड) कं., लि." कर दिया जाए।

अत: अब, सीमाशुल्क टैरिफ (सब्सिडी युक्त वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण और क्षित निर्धारण) नियमावली, 1995 के विनियम 20 और 22 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) और (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी की उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 04/10/2020- डीजीटीआर, दिनांक 18 नवंबर, 2022 पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, भारत सरकार, विक्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) के अधिसूचना संख्या 2/2020 सीमाशुल्क (सीवीडी), सा.का.िन संख्या 323(अ), दिनांक 28 अप्रैल 2022 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 4 के सामने, कॉलम 6 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"केएमसीटी (थाईलैंड) कं., लि."

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/184/2021-टीओ(टीआरयू-I)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2022- सीमाशुल्क (सीवीडी), सा.का.िन. संख्या 323 (अ), दिनांक 28 अप्रैल, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2022

No. 5/2022-Customs (CVD)

G.S.R. 893(E).—Whereas, in the matter concerning imports of "Copper Tubes and Pipes" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff items 7411 10 00, 7411 21 00, 7411 22 00, and 7411 29 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from Malaysia, Thailand and Vietnam (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification No. 04/10/2020-DGTR, dated the 31st January, 2022 has recommended the imposition of countervailing duty on imports of the subject goods originating in, or exported, from the subject countries.

And whereas, on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority, the Central Government had imposed the countervailing duty on the subject goods, *vide* notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2022-Customs (CVD), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 323(E), dated the 28th April, 2022;

And whereas, the designated authority, *vide* amendment notification No. 04/10/2020- DGTR, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 18th November, 2022, concluded that the request of KMCT (Thailand) Co., LTD. for changing name falls within the category of name change only and there is no change in the ownership in a manner that alters the basic nature of the business and recommended that the name of the producer viz. "M/s Kobelco and Materials Copper Tubes (Thailand) Co Ltd." be amended to "KMCT (THAILAND) CO., LTD" in its final findings notification No. 04/10/2020- DGTR, dated the 31st January 2022;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (6) of section 9 of the Customs Tariff Act read with rules 20 and 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid notification No. 04/10/2020- DGTR, dated the 18th November, 2022, of the Designated Authority, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance(Department of Revenue), No. 2/2022-Customs (CVD), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 323(E), dated the 28th April, 2022, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 4, in Column (6), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"KMCT (THAILAND) CO., LTD".

[F. No. CBIC-190354/184/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secv.

Note: The principal notification No. 2/2022-Customs (CVD), dated the 28th April, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 323(E), dated the 28th April, 2022.